कार्यालय अधिष्ठाता

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)— 490024

(पूर्व नाम— चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग,छ.ग.)

क्रमांक/क्रय स्वं व्यव./CCMGMC/क्र- 2025 7992 दुर्ग, दिनांक- 10/11/2025

// रूचि की अभिव्यक्ति //

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के महाविद्यालय भवन/बालक एवं बालिका छात्रावास/ इंटर्न छात्रावास में उपलब्ध वाटर प्यूरीफायर एवं वाटर कूलर के मरम्मत एवं वार्षिक रखरखाव कार्य हेतु '' जहां है जैसा है'' के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है । विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	संख्या	वार्षिक रखरखाव	टैक्स	कुल राशि रू.
01.	वाटर कूलर	11			
02.	वाटर प्यूरीफायर/आर.ओ.	11			

नियम एवं शर्ते :-

01. प्राक्कलन के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी, जिस हेतु राशि रू. 100/- के नान ज्युडिशियल स्टांप पेपर में अनुबंध किया जावेगा । अनुबंध की अवधि अनुबंध किये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक के लिये मान्य होगी ।
02. प्राक्कलन के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें ।
03. वार्षिक रखरखाव (AMC) हेतु महाविद्यालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करना होगा। **''जहां है जैसा है'' के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।**
04. वार्षिक रखरखाव का दर मशीनों की वर्तमान भौतिक अवस्था का अवलोकन स्वयं करने के उपरांत ही उल्लेखित करें।
05. वार्षिक रखरखाव अनुबंध की दर मशीनों की वर्तमान स्थिति को देखकर ही उल्लेखित करें, साथ ही मरम्मत कार्य में लगने वाले पार्ट्स की दर भी पृथक से उल्लेखित करें जो अनुबंध अवधि से 01 वर्ष तक लिये मान्य होगी ।
06. मरम्मत कार्य की आवश्यकता वाले मशीनों (वाटर प्यूरीफायर/आर.ओ एवं वाटर कूलर) के मरम्मत कार्य के लिये प्रस्तुत दर अनुसार दुरूस्ती कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया किया जावेगा। मरम्मत कार्य का देयक पृथक से प्रस्तुत करना जिसका भुगतान मरम्मत उपरांत किया जावेगा। तदोपरांत मशीन वार्षिक रखरखाव हेतु प्रस्तुत दर में सम्मिलित रहेगी ।
07. वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जावेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह के पश्चात एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष के संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात किया जावेगा । वार्षिक रखरखाव संतोषप्रदर नही किये जाने की दशा में आदेश निरस्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
08. वार्षिक रखरखाव हेतु जारी सूची में वाटर कूलर तथा प्यूरीफायर/आर.ओ. सिस्टम की संख्या अनुमानित है जिसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

09. आपातकालीन परिस्थिति में दूरभाष पर सूचित किये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना होगा ।

10. किसी भी प्राक्कलन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नही रहेगा।

11. उक्त मरम्मत/दुरूस्ती कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत/अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाइडर उक्त रूचि की अभिव्यक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं ।

12. आवेदित/चयनित फर्म के राज्य शासन या उसके किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा फर्म को काली सूची (Black Listed) में होने की जानकारी की दशा में ऐसे फर्म का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।

13. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोर्ट, संबंधित स्थल/शाखा के प्रभारी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा ।

14. संबंधित स्थल/शाखा प्रभारी से मरम्मत/दुरूस्ती कार्य के सत्यापन उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जावेगा।

15. समस्त कार्य की प्रक्रिया छ.ग.भण्डार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भण्डार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे ।

16. अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नही किये जावेंगे ।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)